**संख्या- 42/2022/2597/77-6-2022-6003/15/2019**

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप,
पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6** **लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर,2022**

विषय:- पिकप में शासनादेशों के अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड एवं पात्रता की शर्तो के पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय आदेश दिनांक 27.03.2012 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था में प्रक्रियात्मक कमी को पूरा करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निगम कार्मिकों को ए0सी0पी0 की सुविधा अनुमन्य किए जाने हेतु सार्वजनिक उदयम विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निहित शर्तो एवं मापदण्डों को पूर्ण करते हुए द्वारा निगम कार्मिकों को ए0सी0पी0 लागू किए जाने में हुई प्रक्रियात्मक कमी को परिमार्जित करते हुए पिकप के परिपत्र संख्या-सेक्रे/4/2233/2010/भाग-2/4791 दिनांक 27.03.2012 के द्वारा लागू की गयी सुनिश्चति कैरियर प्रोन्नयन(ए0सी0पी0) की व्यवस्था को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008 दिनांक 04.05.2010 तथा तत्क्रम में जारी शासनादेशों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप शर्तो/मानकों के अनुसार सुनिश्चति कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था पिकप में लागू किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस संबंध में होने वाले व्यय-भार, पिकप द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. पिकप द्वारा सुसंगत शासनादेशों/नियमों आदि में उल्लिखित प्राविधानों/शर्तों/मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चति की जाएगी। पिकप स्तर पर यह सुनिश्चति कर लिया जाएगा कि जिन कार्मिकों को पूर्व में ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा चुका है अथवा भविष्य में दिया जाएगा, उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य है तथा वे इसके पात्र हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चति करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं तद्दिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम/वित्त/न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।